"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2014—कार्तिक 23, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक 9707/21-अ/ स्थापना/छ.ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 8 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, विधि विभाग, नई दिल्ली शाखा में प्रोटोकॉल में कार्य करने का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही, सहायक प्रोटोकॉल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा और विधि विभाग, नई दिल्ली शाखा में संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्ति को, उसके द्वारा किये गये कार्य की अवधि के लिए, आयु में छूट दी जायेगी किन्तु यह किसी भी दशा में 48 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी."

इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसे कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था.

क्रमांक 9707/21-अ/स्थापना/छ.ग./14. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After sub-rule (2) of rule 8, the following shall be added, namely :-

"(3) Notwithstanding anything contained in these rules, a person having five years or more experience in Protocol work in the branch of Law Department at New Delhi shall only be eligible for appointment to the post of Assistant Protocol and age relaxation shall be given to a person working on contract basis in the branch of Law Department at New Delhi for the period he had worked but in no case it shall exceed 48 years of age."

This amendment shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.